

आयालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

प्रार्थना-पत्र सं.

27 / 24

धारा अंतर्गत

212 RTA

ग्राम

तिसाया

तहसील

बारां

वादी

दुर्गाशंकर

वाद शीर्षक

बनाम

प्रतिवादी

सहा0 अभियन्ता, जल गृहण विभाग

वकील :-

दिनांक

आदेश पत्रक

वकील:-

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

17.05.2024

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ज सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 5-7-24 को पेश हो।

5-7-24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी उक्त गये। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी के बीच बात आताज अभाव में विवातजूद सूचना से वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी न्यायालय में उक्त गये। अतः प्रार्थी का प्रारंभिक अदम दाजरी अदम पत्र के त्वरित किया जावे। पत्रावली फिलहाल सुकाल के बाद कार्यालय त्वरित से दायित्व दफ्तार है।